न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– **श्री धीरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.**
राजस्व वादपत्र संख्या :– **44/2021**

वादीनी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
01. मिरगों पुत्री मदा पत्नि बागाराम स्थाई निवासी मिठड़ा खुर्द अभि हाल हरदानपुरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		01. जुंजाराम पुत्र अचलाराम 02. बाबुराम पुत्र अचलाराम 03. हिमथाराम पुत्र अचलाराम 04. खेतु वैवा अचलाराम जाति जाट निवासी मिठड़ा खुर्द नया राजस्व गांव लोलो की बेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 05. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा धोरीमना। 06. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना। 07. तहसीलदार साहब धोरीमना।

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने

राजस्व वाद धारा 88, 40, 53, 91, 188, 209 रा. का. अधिनियम 1955

वाद तारीख रजू: 12.08.2021

अधिवक्तागणः–
1. **श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता वादीनी/ अप्रार्थीनी**
2. **श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 /प्रार्थी**

–::निर्णयः:–

दिनांकः 14.05.2024

वादीनी ने न्यायालय हाजा में राजस्व वाद धारा 88, 40, 53, 91, 188, 209 रा. का. अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 हिन्दू विधि से प्रशास्ति होने से निम्न वंशावली है

पन्ना
↓
मदा | मोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

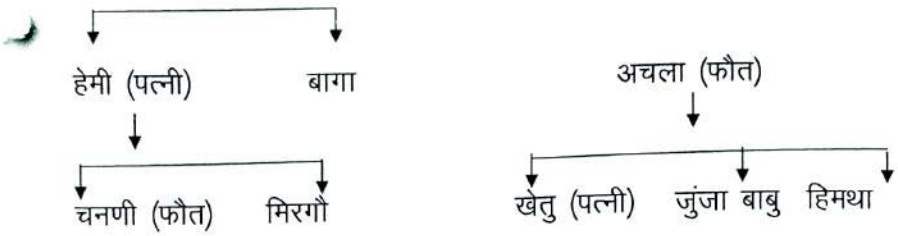

हेमी (पत्नी) बागा

↓

चनणी (फौत) मिरगौ

अचला (फौत)

↓

खेतु (पत्नी) जुंजा बाबु हिमथा

वादीनी एंव प्रतिवादीगण 1 से 4 पैतृक एंव सहदायिकी सयुक्त खातेदारी भूमि सैटलमैन्ट के गांव मिठड़ा खुर्द नया राजस्व गांव लोलो की बेरी तहसील धौरीमना में खसरा सं. 334, 335 कमश रकबा 20.0886, 0.0486 कुल रकबा 20.1372 हैक्टर स्थित हैं जिसमें वादीनी कि पैतृक भूमि में 1/2 हिस्सा 11. 2340 हेक्टर अर्थात 69 बिघा 04 विस्वा भूमि पर कब्जा काश्त से व हक हकुक अत्पन्न होने से मदा की वैध वारिस व हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अन्तर्गत घोषित करवाने की वैध अधिकारिणी हैं। वादगस्त खेतों में वादीनी एंव प्रतिवादीगण 1 से 4 हिन्दू विधि से प्रशास्ति होने से सैटलमेन्ट के समय यानि 15.10.1955 को खतौनी बन्दोबस्त में वादीनी के नाना मदा पुत्र पन्ना का आधा हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 4 के पुत्रो व पति अचला पुत्र मोटा के नाम वैध रूप से इन्द्राज हुआ था और 1971 में मदा के फौत होने पर मेरी माता हेमी पुत्री मदा के नामान्तकरण सं. 01 पारित हुआ और 1974 प्रतिवदीगण के पिता अचला ने खसरा सं. 334 में से कुल रकबा 138 बिघा 8 विस्वा 22.4681 हैक्टर भुमी मे से प्रतिवादीगण का हिस्सा 69 बिघा 4 विस्वा मे से 14 बिघा भूमि अन्य काश्तकारों को बेचान किया जिस पर नामान्तकरण सं 148 पारित हुआ जो अपने हिस्से से बेचान की तो शेष 55 विघा 4 विस्वा यानि 8.9681 हैक्टर घोषित करवाने के अधिकारी हैं और वादिनी का हिस्सा यथावत रहने से 69 बिघा 4 विस्वा अर्थात 11.2340 हैक्टर घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी में विक्रमी सवंत 2028 से 2031 तथा सवंत 2031 से 2035 तक राजस्व रिकार्ड में वादीनी की माता का नाम कब्जा काश्त होने से इन्द्राज सही चला आ रहा हैं और 1984 में मेरी माता फौत होने पर पटवारी हल्का ने मेरा व मेरी बहन चनणी के नाम नामान्तकरण संख्या 386 सही पारित किया। क्योंकि उस समय नामान्तकरण पारित करते समय कथाकथित वसीयतनामा प्रतिवादीगण के मुख्या अचला ने पटवारी के समक्ष कोई वसीयतनामा पेश नहीं किया किन्तु दिनांक [illegible].08.1984 को [illegible] ने प्रतिवादीगण के कर्ता खानदान ने मिलकर कथाकथित वसीयतनामा बन[illegible] नाम[illegible]करण 386 में मेरा व मेरी बहन चनणी का नाम हटा दिया और [illegible] भूमि आवगी [illegible] सं.04 के मुख्या अचला के नाम राजस्व दस्तावेज में इन्[illegible] किया जो वादिनी के लिए कथाकथित वसीयतनामा नामान्तकरण स. 386 मौजा मिठड़ा खुर्द बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

होने से वादीनी उक्त राजस्व दस्तावेजों को प्रभावहीन बेअसर घोषित करवाने की वैध उतराधिकारिणी हैं। वादगरस्त खेतो का वसीयतनामा मेरी माता हेमी ने अचला के पक्ष में न लिखित किया और नही पंजीयन करवाया तथा मैं बाल्यावस्था से मेरी माता का मत्यु हुई तब तक उसके साथ मिठड़ा में रहती थी और उसकी सेवा चाकरी करती थी। किन्तु सारा रदोबदल सरपंच व प्रतिवादीगण 1 से 4 के कर्ता खानदान अचला ने दुरभिसन्धि से राजस्व दस्तावेज में रदोबदल किया और मेरी पैतृक सारी भुमी हड़प करने की निति से राजस्व दस्तावेज में अकिंत करवाया जो बेअसर होने से मेरी पैतृक भूमि में 1/2 हिस्सा घोषित करवाने की उतराधिकारिणी हूं। वादगस्त नामान्तकरण 386 विधि विरूद्ध पारित होने से जमाबदी 44 से 47 में अचला पुत्र मोटा का अवैध रूप से इन्द्राज होने से व उसके बाद अचला फौत होने पर प्रतिवादीगण ने वादीनी को ढाणी से निकाल दिया और उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को रहन रख दी और बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये चालू जमाबदी मे सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिग्री के बिना अधिनस्थ कर्मचारियों ने हिस्साकसी गलत खोली गई, जो इद्राज की हैं उसे निरस्त कर खसरा सं. 334, 335 मौजा लोलो की बेरी में 1/2 से 11.2340 हेक्टर से अर्थात 69 बिघा 4 बिस्वा घोषित करवाने की वैध वारिस हूं। वादगस्त खेत मौजा मिठड़ा खुर्द नया गांव लोलो की बेरी खसरा सं. 334, 335 कुल रकबा 20.1372 हैक्टर का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधिन रहे तब तक उक्त राजस्व दस्तावेजो में रदोबदल नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे और वादीनी की पैतृक भूमि के कब्जा काश्त से बेदखल नही करे और न ही उक्त भुमी को बेचान व बैंकों को रहन रखे इस आश्य की वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। वादगस्त खेत खसरा सं. 334, 335 मौजा लोलो की बेरी तें. धोरीमन्ना रकबा 20.1372 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा वादीनी की घोषणा के बाद 11.2340 हैक्टर अर्थात 69 बिघा 04 विस्वा का विभाजन किया जावे। और भूमिपति तहसीलदार साहब को विधि से पक्षकार बनाया गया हैं भुमीपति से वादीनी ने कोई अनुतोष नहीं मांगा हैं इसलिए 80 सी.पी.सी का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्ता खानदान अधला ने हमारी बिना सहमति खसरा नं. 334 में रकबा 138 बिघा 2 विस्वा में से 14 बिघा भुमी अन्य काश्तकारो को बेचने से तथा 1984 में नामान्तकरण सं.386 में से बिना कानुनी प्रक्रिया [illegible] वादीनी व मेरी बहन चनणी का खेतो से नाम हटाया गया और वादग्रस्त भूमी से बेदखल कर बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब आज से 25 रोज पूर्व बमुकाम मिठड़ा खुर्द लोलो की बेरी तें. धोरीमना में पैदा हुआ। वादगस्त भुमी मौजा लोलो की [illegible] धौरीमना में स्थित होने से सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने से ये वाद पेश हैं। वादगस्त भुमी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

मालियत किमत विधि से सही हैं किन्तु वादीनी ने उक्त खेतों में धारा 88,40, 53, 91, 188, 209 रा. का. अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनुतोष मागने से मुद्रांक 6 रू पेश हैं। वादीनी की प्रार्थना है की निम्नाकिंत डिग्री वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ सादिर फरताई जावें।(क) वादीनी की पैतुक व सहदायिकी भुमी सैटलमैन्ट गाव मिठड़ा खुर्द नया गांव लोलो की बेरी खसरा स. 334 335 रकबा 20.0886 व 0.0486 कुल रकबा 20.1372 हैक्टर में 1/2 हिस्सा से 11.2340 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त होने से घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण 1 से 4 के कर्ताखानदान अचला ने 1/2 हिस्से मे से नामान्तकरण सख्या 148 के द्वारा खसरा न. 334 में से 14 बिघा भुमी अन्य काश्तकारो को बेचने से शेष 8. 9681 हैक्टर अर्थात 55 बिघा 4 विस्वा घोषित की जावें। (ख) कि वादगस्त खेतो का 1984 में मेरी माता फौत होने पर बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये कथाकथित वसीयतनामा से नामान्तकरण सख्या 386 दिनांक 08.01.1984 को पारित किया वो प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जावे। (ग) कि वाद के विचारण के बाद वादीनी की उक्त खेतो में पैतृक व वैध वारिस होने से 1/2 हिस्से की घोषणा के बाद विभाजन किया जावे।(घ) कि सक्षम न्यायालय मे वाद चले तब तक खसरा स. 334 व 335 मौजा लोलो की बेरी रिकार्ड व मौके की यथावथ स्थिति रखे तथा रहन व बेचान नहीं करें इस आश्य के वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जायें। (ड़) कि वादगस्त खेतो मे वादीनी के पक्ष मे घोषणा के बाद विधि से राजस्व दस्थावेजो में संशोधन किया जावे।(च) कि अन्य सहायथा वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद के विचारण के बाद प्रमाणित हो वो धारा 209 रा. का अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिलाई जावे। (छ) कि वाद का विधि से हर्जाना व खर्चा रूपये 50 हजार दिलाया जावें। **का वाद पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी तय की गई।**

प्रतिवादी संख्या 01 के ओर से वकील श्री देवाराम चौधरी वकालातनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने एक प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजुर करने **का इस प्रकार से पेश किया** कि श्रीमान न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद संख्या 44/2023 अनवान मिरगों बनाम जुंजाराम व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88,40,53,91 209 रा. का0 अधिनियम वास्ते घोषणा बंटवारा एवं निषेधाज्ञा का पेश किया है जो विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी आज है। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल मिठड़ा खूर्द गांव मिठड़ा खूर्द नया गांव लोलों की बेरी तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 334, 335 क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

20.0886, 0.0486 कुल रकबा 20.1372 हेक्टेयर स्थित हैं जिसमें 1/2 हिस्सा की घोषणा चाही गई। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में क्षैत्राधिकारी प्राप्त उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक नामान्तकरण की अपील पेश की थी जो इसी खसरों के हक के लेकर वादीनी ने इस्तदुआ चाही गई थी। वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 09 में " बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्त्ता खानदान अचला ने हमारी बिना सहमति खसरा नम्बर 334 में रकबा 138 बीघा 2 बिस्वा में से 14 बीघा भूमि अन्य काश्तकारों को बेचने से तथा 1984 में नामान्तकरण संख्या 386 में से बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये वादीनी व मेरी बहन चनणी का खेतों से नाम हटाया गया और वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर बेचान करने की एलानियां धमकी दी तब आज से 25 रोज पूर्व बमुकान मिठड़ा खूर्द लालों की बेरी तहसील धोरीमना में पैदा हुआ " का बताया हैं जबकि वादीनी द्वारा तत्कालीन क्षैत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के खैतों के सम्बनध में नामान्तकरण की अपील पेश की थी जो अपील वादीनी ने दिनांक 09.08.1984 को अपील विड्रो करा दी गई थी वादनी स्वयं ने अपील विड्रो की हैं साथ सही ईकरारनामा के जरिये सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम के पक्ष तर्क कर दी है इसलिए वादपत्र में वर्णित वाद हेतुक (बिनायदावा) पैदा नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं हैं वाद खारीज योग्य है। वादीनी ने तथ्य छिपाकर धन ऐठने के लिए हस्तगत वाद पेश किया हैं अपील, ईकरारनामा, वसीयतनामा आदि का हवाला नही दिया गया है इसलिए वाद हेतुक गलत तथ्यों के आधार पर बताने से वाद चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादीनी मिरगोदेवी पत्नी वागाराम पत्नी कलाराम जाति जाट निवासी बिसारणिया स्वयं ने दिनांक 09.08.1984 को जरिये ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक का तर्क कर दिया। बिना ईकरारनाम निरस्त माननीय न्यायालय में वाद लाने का अधिकार वादनी को नहीं हैं सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकार का होने से हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं हैं खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण भूमि स्व0 हेमी पत्नी वागाराम हिन्दु महिला के नाम से थी जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 – हिन्दु नारी की सम्पत्ति आसी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी जो स्वःअर्जित की श्रेणी में आती है इस... वादग्रस्त आराजी में वादनी की पैतृक व पुस्तैनी नहीं है। महि... में किसी भी अधिकार नहीं हैं इसलिए हस्तगत वाद चल... योग्य नहीं है। ... आराजी स्व0 हेमी पत्नी वागाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा खुर्द ने अपनी सम्पूर्ण ... प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

खूर्द के नाम से लिखत में वसीयत करवा दी हैं वसीयत निरस्त करवाये बिना माननीय न्यायालय में सुनने का अधिकार नहीं हैं इसलिए क्षैत्राधिकार से बाहर होने से वाद खारीज योग्य है। हस्तगत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान, नाहक तंग व आर्थिक नुकसान पहूँचाने के उद्‌देश्य से दायर किया गया हैं। न्यायालय में यह देखने की अन्तर्निहित शक्ति होती हैं कि तंग करने वाले मुकदमों को न्यायालय का समय लेने या उसका उपभोग करने की लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। शेष तथ्य वक्त बहस प्रतिवादीगण के वकील द्वारा माननीय न्यायालय में मौखिक निवेदन किया जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीनी से खर्च दिलवाते हुए वाद– हेतुक (बिनायदावा) प्रकट नहीं होने, वाद पत्र न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार व अधिकारिता का नहीं होने से वादीनी के वाद को नामंजूर करने का आदेश फरमाया जावें। का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

वादीनी/अप्रार्थीया के वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने का प्रस्तुत किया जिसका बिन्दुवार जवाब वादीनी की ओर से निम्नानुसार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादीनी द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय मे अपील पेश नहीं की थी मात्र काल्पनिक एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 आंशिक स्वीकार है तथा जवाब यह है कि वादीनी द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय में अपील ही पेश नहीं की, विड्रो का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथाकथित ईकरारनामा से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 4 के पिता पति के पक्ष तर्क कर दी है परन्तु विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी ईकरारनामा से कोई खातेदारी अधिकार नहीं सृजित होते है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र निराधार होने से काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 गलत है जवाब यह है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित अपील, ईकरारनामा, वसीयतनामा ही नहीं है क्योकि प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजात फर्जी तैयार कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है जवान यह है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 09.08.1984 बताया गया है उक्त ईकरारनामा ही विधि संगत नहीं है कि ईकरारनामा से कोई खातेदारी अधिकार ही नहीं मिलता है ऐसी स्थिति मे [illegible] ईकरारनामा विधि अनुसार शुन्य है तथा जो दस्तावेज प्रारम्भ से शुन्य है उक्त दस्तावेज को कहीं शुन्य घोषित करवाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादग्रस्त आराजी वादीनी के दादा मदा के नाम से वक्त सेटलमेन्ट पैमाईस हुई थी, इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है और पैतृक सम्पति में वादीनी का हक हिस्सा होने से उक्त वाद से वादग्रस्त आराजी मे अपना हक हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि तथाकथित वसीयत वादीनी की माता स्व. हेमी द्वारा कभी भी लिखत नहीं की है ऐसी वसीयत काल्पनिक एवं मिथ्या तैयार कर वादीनी का हक हिस्सा हड़पने की नियत से ही तैयार की गई, ऐसे दस्तावेज प्रारम्भ में ही शुन्य है जो शुन्य दस्तावेज को कहीं पर निरस्त करवाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा विधि मे सुस्थापित सिद्वान्त है ऐसे स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार है जवाब यह है कि वादीनी ने अपने पैतृक सम्पति मे हक हिस्सा घोषित करवाने के लिए उक्त वाद न्यायालय श्री मे प्रस्तुत किया है। अन्य वजुहात वक्त बहस अर्ज किये जायेगे।अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यो का मिश्रित समावेश होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की विस्तारपूर्वक सुनी गई।

प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 के वकील ने निवेदन किया कि वाद में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है क्योंकि वादीनी स्वयं ने वाद के पैरा संख्या 01 में कहा कि 1984 मे वादीनी के माता फौत होने से वादीनी के नाम नामान्तकरण संख्या 386 दर्ज किया गया है जो बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये पारित कर दिया का हवाला दिया हैं जबकि वादीनी स्वयं ने नामान्तकरण संख्या 386 में अपील तत्कालीन क्षैत्राधिकार प्राप्त श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 90/1984 को दर्ज करवाई थी। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। उस अपील का निरस्तारण कर दिया गया अपील वादीनी स्वयं ने खारीज करवाई थी। जिसका वाद पत्र में वर्णन नहीं किया हैं इसलिए वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से वाद खारीज किया जावें। वादीनी स्वयं में ईकरारनामा के जरिये अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पक्ष में लिख कर [illegible] वादीनी की माता ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पक्ष में [illegible] है। वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारीज योग्य हैं वादीनी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं हैं। बिना कब्जे वाद चलने योग्य नहीं हैं। वाद रेसज्यूडिकेटा की [illegible] में आने से खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

वादीनी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुए तो पढे नही जावेगें। वादीनी से किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की हैं। न ही किसी प्रकार के ईकरानामा में लिख दिया हैं वाद में हेतुक प्रकट होता है। इसलिए वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य है। वाद में साक्ष्य के दौरान यह पढा जाएंगा। वसियतनामा व इकरारनामा इस स्टेज पर पढें जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र पर वाद खारीज नहीं किया जा सकता हैं वाद गुणावगुण पर निर्णित किया जाएं प्रार्थना पत्र खारीज किया जाएं।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीनी/अप्रार्थीया द्वारा माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की नजीर 2024 (1)DNJ (Rev.) 52, 2023 (1)RRT 352, 2023 (1)RRT 372 पेश की, हमने उपर्युक्त नजीर का ससम्मान अध्ययन करते हुए इसे मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में उपयोग किया।

हस्तगत वाद में वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत प्रमाणित अपील मीमो की प्रति, ईकरारनामा, वसीयतनामा आदि दस्तावेजों का गहना से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी – वाद पत्र का नामंजुर किया जाना – के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिन दशाओं में मंजूर किया जा सकता है वे है –

(क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो,

(घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो,

1. (क) वाद हेतुक (वाद कारण) – वादीनी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में बिनायदावा /वाद हेतुक/ वाद कारण बताया गया " **बिनायदावा प्रतिवादीगण के कर्त्ता खानदान अचला ने हमारी बिना सहमति खसरा नम्बर 334 में रकबा 138 बीघा 2 बिस्वा में से 14 बीघा भूमि अन्य काश्तकारों को बेचने से तथा 1984 में नामान्तकरण संख्या 386 में से बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये वादीनी व मेरी बहन चनणी का खेतों से नाम हटाया गया और वादग्रस्त [illegible] खल कर बेचान करने की एलानियां धमकी दी तब आज से 25 रोज पूर्व [illegible] मिठड़ा खूद लालों की बेरी तहसील धोरीमना में पैदा हुआ** [illegible] है।" प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 कहता हैं "[illegible]नी द्वारा तत्कालीन क्षैत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के खैतों के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

नामान्तकरण की अपील पेश की थी जो अपील वादीनी ने दिनांक 09.08.1984 को अपील विड्रो करा दी गई थी वादनी स्वयं ने अपील विड्रो की हैं साथ सही ईकरारनामा के जरिये सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम के पक्ष तर्क कर दी है इसलिए वादपत्र में वर्णित वाद हेतुक (बिनायदावा) पैदा नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं हैं वाद खारीज योग्य है।'' प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 04 जबाब वादीनी ने कहा '' वादीनी द्वारा कभी भ किसी भी न्यायालय में अपील ही पेश नहीं की, विड्रो का प्रश्न ही पैदा नहीं होता'' प्रार्थी वकील में श्रीमान् जिला कलेकटर कार्यालय बाड़मेर रेकर्ड विभाग से प्रतिलिपी क्रमांक 525 में अपील संख्या 90/1984 पेश की – जिसमें अपील खिलाफ नामान्तकरण संख्ख्या ३८६ तारीख 08.01.1984 ग्राम पंचायत मीठड़ा खूर्द हसब दफा 75 रा0 भू0 राज0 अधि0 की पेश की जो दिनांक 16.07.1984 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द के खसरा संख्या 334, 335 का पैरा संख्या 01 में वर्णन किया गया है। अपील में वादीनी स्वयं ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार '' अर्ज एक अपीलान्ट मिरगा पुत्री बागाा का यह है :– 01 कि अनवान सदर के मुदय में गांव वालो ने हमें आपस में राजीबाजी कर दिया हैं एंव जो म्युटेशन मेरी मॉ के करने के बाद में अचला पुत्र मोटा के नाम से जो भरा हैं वो कायम रखा जावें मेरी मॉ ने अचला पुत्र मोटा के हक में जो खेत वसीयत किये हैं उन कब्जा अचला का ही है। अतः मैं अपील अपील को अब आगे नहीं चाहती हूँ अतः अपील जरिये विड्रोवल के खारिज फरवाई जावें।'' जो वादीनी स्वयं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 09.08.1984 में पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.1984 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील निर्णित कर खारीज कर दी गई।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित हैं [illegible] में सहमति से नामान्तकरण अपील को विड्रो की है। वाद [illegible] नहीं किया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद [illegible] वाद चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★ सत्यमेव जयते

2. **(घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, – उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में** वादीनी मिरगोदेवी पत्नी वागाराम पत्नी कलाराम जाति जाट निवासी बिसारणिया स्वयं ने दिनांक 09.08.1984 को जरिये ईकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक का तर्क कर दिया। तथा वादीनी की माता हेमी पत्नी वागाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा खूर्द ने दिनांक 30.03.1983 को जरिये वसीयत प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के पति स्व0 अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मीठड़ा के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक वसीयत के जरिये दे दिया है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकारी का आता हैं वाद चलने योग्य नहीं है।

3. **वादग्रस्त आराजी का कब्जा –** वादग्रस्त आराजी में वादीनी का कब्जा काश्त नहीं हैं वादग्रस्त आराजी में वादीनी स्वयं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 90/1984 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.1984 में **कब्जा अचला का ही है, वसीयत में वादीनी के माता हेमीदेवी द्वारा कब्जा अचलाराम को सुपुर्द कर दिया, वादीनी स्वयं ने ईकरानामा के जरिये कब्जा अचलाराम का वर्णित करती हैं। कब्जा प्रतिवादीगण का 37 वर्ष से अधिक समय से हैं कब्जा प्राप्ति की अवधि 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है।**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

4. हस्तगत वाद में धारा **11 सीपीसी वास्ते पूर्व–न्याय (Res-judicata)** के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हम धारा 11 सिविल प्रकिया संहिंता का अवलोकन करना उचित एवं विधिसंगत समझते है :–

"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः ओर हारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

रेस– ज्यूडिकेटाके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :–

1. दो वादों या विवाद्यकों का होना आवश्यक :– एक पूर्ववर्ती एवं एक पश्चात्वर्ती।
2. पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती वाद या विवाद्यकों में विषय वस्तु / विवाद्यक / अनुतोष का समान होना।
3. पक्षकारों का समान होना या समान पक्षकारों के प्रतिनिधि समान होना।
4. न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद निर्णित कर दिया हो।
5. पूर्ववर्ती वाद को निर्णित करने वाला न्यायालय, पश्चात्वर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सर्वप्रथम हम अधिवक्ता प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 90/1984 की पत्रावली, अपील, प्रार्थना पत्र, निर्णय का अध्ययन/अवलोकन करना उचित समझते है :–

प्रकरण संख्या 90/1984 अपील खिलाफ नामान्तकरण संख्या ३८६ तारीख 08.01.1984 ग्राम पंचायत मीठड़ा खूर्द हसब दफा 75 रा0 भू0 राज0 अधि0 की पेश की जो दिनांक 16.07.1984 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दर्ज हुई। प्रकरण में अपीलान्ट मिरगो पुत्री मदाराम पत्नी बागाराम है। प्रतिवादी/ उत्तरदाता के रूप में अचलाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मिठड़ा खूर्द पक्षकार व अचलाराम के खिलाफ इस्तदुआ चाही थी। अनुतोष– वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द के खसरा संख्या 334, 335 में अपीपलान्ट मिरगों के नाम करवाने का था। व नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 08.01.1984 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के नाम हिस्सा का म्युटेशन भरा जावें। उपर्युक्त प्रकरण संख्या 90/ 1984 का निर्णयन/आदेश तत्कालीन क्षैत्राधिकारी प्राप्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 13.09.1984 को किया गया।

अब हम हस्तगत (पश्चात्वर्ती) वाद / वाद संख्या 44/2021 का अध्ययन करना उचित समझते है :– हस्तगत प्रकरण / वाद संख्या 44/2021 के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि उक्त वाद हाजा न्यायालय में सन् 2021 को संस्थित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

हस्तगत (पश्चात्वर्ती) प्रकरण/वादपत्र में वादीनी के रूप में मिरगो पुत्री मदा पत्नी बागाराम हैं तथा प्रतिवादी के रूप में अचलाराम के वारिशान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 जुंजाराम, बाबुराम, हिमथाराम पि0 अचलाराम, खेतु बैवा अचलाराम पक्षकार है। साथ ही हस्तगत (पश्चात्वर्ती) प्रकरण/वादपत्र का मुख्य अनुतोष ग्राम मीठड़ा खूर्द के खसरा संख्या 334, 335 में कब्जा काश्त होने से घोषित की जावें/ वादीनी के नाम नामान्तकरण किया जावें। तथा नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 08.01.1984 को पारित किया वो प्रभावहीन व बैअसर घोषित किया जावें, का है।

इस प्रकार पूर्ववर्ती प्रकरण /अपील 90/1984 एवं हस्तगत(पश्चात्वर्ती) वादपत्र वाद संख्या 44/2021 की तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हैं कि :— उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकार मुख्य रूप से समान हैं तथा दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु / विवाद्यक /अनुतोष समान प्रकृति के है। साथ पूर्ववर्ती प्रकरण/अपील संख्या 90/1984 दिनांक 13.09.1984 को निर्णित किया जा चुका हैं साथ ही पूर्ववर्ती प्रकरण/अपील के अनुतोष एवं हस्तगत पश्चातवर्ती प्रकरण/ वाद के अनुतोष को प्रदान करने में हाजा न्यायालय सक्षम है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस— ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। वाद चलने योग्य नहीं है।

5. **धारा 14 — हिन्दु नारी की सम्पत्ति आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी — (1) हिन्दु नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।** इस प्रंकार वादग्रस्त आराजी वादीनी की माता हेमीदेवी से प्रतिवादी संख्या 01 के पिताजी स्व0 अचलाराम ने वसीयत के जरिये कब्जा व हक प्राप्त किया है। हेमीदेवी ने अपने जीवन काल में ही सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 01 के पिताजी स्व0 अचलाराम के नाम करा दी [illegible] हेमी[illegible] के नाम प्राप्त सम्पत्ति स्वःअर्जित मानी जायेगी। जो स्वअर्जित वादग्रस्त आरा[illegible] सम्पूर्ण भूमि स्व0 हेमी पत्नी वागाराम हिन्दु महिला के नाम से थी जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की की श्रेणी में आती है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादनी की पैतृक व पुश्तैनी नहीं है। महिला से स्वअर्जित सम्पत्ति प्राप्त में किसी भी अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।

उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द नया गांव लोलों की बेरी के खसरा संख्या 334, 335 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित हैं क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को विड्रो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता है। 2. ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकार का आता हैं। 3.वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस– ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। **प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र** अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने का **भली–भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से** स्वीकार करना **किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं तथा वाद पत्र खारीज करना विधिसंगत व उचित समझते है। तद् अनुसार डिक्री पर्चा जारी करना उचित व विधिसंगत समझते है।**

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द नया गांव लोलों की बेरी के खसरा संख्या 334, 335 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण पारीत होने की बात गलत अंकित हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को विड्रो की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद लाने हेतुक प्रकट नहीं होता है। 2. ईकरारनामा व वसीयतनामा निरस्त करवाये बिना हस्तगत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकार का आता हैं। 3. वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4. वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस– ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद पत्र खारीज /नामंजुर किया जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक– **14.05.2024** को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीनी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
01. मिरगों पुत्री मदा पत्नि बागाराम स्थाई निवासी मिठड़ा खुर्द अभि हाल हरदानपुरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		01. जुंजाराम पुत्र अचलाराम 02. बाबुराम पुत्र अचलाराम 03. हिमथाराम पुत्र अचलाराम 04. खेतु वैवा अचलाराम जाति जाट निवासी मिठड़ा खुर्द नया राजस्व गांव लोलो की बेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर। 05. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा धोरीमना। 06. जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा धोरीमना। 07. त्हसीलदार साहब धोरीमना।

मुकदमा नम्बर :– 44 / 2021

दावा बाबत् :– राजस्व वाद राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,53,91,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्तागणः–

1. श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता वादीनी / अप्रार्थीनी
2. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 / प्रार्थी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू, अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुदई एवं मिनजानिब मुद्धायलह प्रतिवादी गण पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, 10 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते वाद पत्र नामंजूर करने वादग्रस्त आराजी ग्राम मीठड़ा खूर्द नया गांव लोलों की बेरी के खसरा संख्या 334, 335 में 1. वादीनी को वाद कारण नामान्तकरण अपील के समय दिनांक 16.07.1984 को हो गया। वाद सन् 2021 में वाद पेश किया हैं जो वाद करीबन 37 वर्ष बाद पेश किया हैं वाद में बिना सहमति नामान्तकरण जारी होने की बात गलत अंकित हैं क्योंकि बाद में सहमति से नामान्तकरण अपील को [illegible] की है। वाद में अपील का हवाला नहीं दिया है। इसलिए वादीनी को हस्तगत वाद [illegible] हेतुक प्रकट नहीं होता है। 2. ईकरारनामा व वसीयतनामा [illegible] बाबत वाद हाजा में चलने योग्य नहीं हैं इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वाद हाजा न्यायालय के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बोरीमन्ना जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद सिविल न्यायालय क्षैत्राधिकार का आता हैं। 3.वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 4.वादीनी के हस्तगत प्रकरण/वाद का हाजा न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णयन किया जा चुका हैं तथा पुनः हाजा न्यायालय में ही वादीनी द्वारा प्रकरण/वाद पत्र संस्थित किया हैं जो कि विधि की प्रचलित मंशा के अनुरूप नहीं हैं। धारा 11 रेस– ज्यूडिकेटा के समस्त बिन्दु हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं वाद चलने योग्य नहीं है। 5. स्वःअर्जित सम्पत्ति में वादीनी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित होने, विधि अनुरूप होने, एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद पत्र खारीज /नामंजुर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत्.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **14.05.2024** को सरे ईजलास जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला–बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested